न्यायालय–नेहा यति मिश्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ (छ.ग.)

क्रमांक–क्यू./सी.जे.एम./2025 रायगढ़, दिनांक 01.01.2025

दांडिक कार्य विभाजन आदेश

मैं नेहा यति मिश्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ (छ.ग.) दांडिक कार्यविभाजन के संबंध में पूर्व में जारी किए गए समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12(1) एवं 13(2) में प्रदत्त प्रावधानों के तहत राजस्व जिला रायगढ में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य दांडिक प्रकरणों एवं कार्यों का विभाजन निम्न प्रकार से करती हूं, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रायगढ़ (छ.ग.) के अनुमोदन में निर्दिष्ट तिथि से लागू होगा–

(1) कार्य विभाजन–

क्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पद	आरक्षी केंद्र	कार्य विभाजन एवं उसका क्षेत्र
01.	**नेहा यति मिश्रा** **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** **रायगढ़**	1. कोतवाली 2. जूटमिल 3. यातायात 4. परिवहन 5. जी.आर.पी. 6. वन परिक्षेत्र 7. संपूर्ण आबकारी विभाग (वृत्त उत्तर, दक्षिण, शहर रायगढ़ एवं उड़नदस्ता रायगढ़)	1. आरक्षी केंद्र कोतवाली एवं जूटमिल से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, रिमाण्ड प्रकरण, सुपुर्दनामा, खात्मा की कार्यवाही (धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता 2023 के आपराधिक मामले एवं ऐसे आपराधिक मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोडकर) का निराकरण करना। 2. आरक्षी केंद्र यातायात, परिवहन, जी. आर.पी., वन परिक्षेत्र रायगढ जिला रायगढ़ से उद्भूत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। 3. आबकारी वृत्त उत्तर, दक्षिण, शहर एवं उड़नदस्ता रायगढ़ से संबंधित छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) जिसमें शराब की मात्रा 05 बल्क लीटर से अधिक हो, आपराधिक प्रकरण संबंधी समस्त कार्यवाही एवं निराकरण करना। 4. रायगढ़ जिला से संबंधित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 280(क) और काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 की धारा 84 के प्रयोजनार्थ से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। 5. रायगढ़ जिला से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरणों के खारिजी प्रकरण की कार्यवाही करना। 6. जिला रायगढ़ क्षेत्रांतर्गत उद्भुत (संसदीय सदस्य/विधान सभा के सदस्य के खिलाफ) आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण करना।

			किन्तु विशेष न्यायालय के अंतर्गत आने वाले मामलों की खात्मा, खारिजी प्रकरणों को छोड़कर। 7. ऐसे समस्त अपराधों का संज्ञान लेना, जांच तथा विचारण करना जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन आदेश में नहीं है तथा जो किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं सौंपा गया है या क्षेत्राधिकार संबंधी कोई अन्य विवाद हो गया हो। 8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत संघ, माननीय उच्च न्यायालय, छ.ग. बिलासपुर एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं मामलों का निराकरण करना। **किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।**
02	**श्री प्रवीण मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़**	कोतरारोड	1. जिला मुख्यालय रायगढ़ के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत **परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881** के आपराधिक प्रकरण एवं उक्त परिवाद के बिना मियादी वारंट का निराकरण करना। 2. थाना कोतरारोड (रायगढ़ तहसील क्षेत्र) से उत्पन्न आपराधिक मामले, परिवाद, रिमाण्ड, सुपुर्दनामा, जमानत, खात्मा की कार्यवाही करना। 3. अपने थाना क्षेत्र के छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण, रिमाण्ड, जमानत, सुपुर्दनामा का निराकरण करना। 4. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। **किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।**
03	**श्री देवाशीष ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़**	पूंजीपथरा	1. थाना पूंजीपथरा (रायगढ़ तहसील क्षेत्र) से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण, परिवाद, रिमाण्ड, जमानत, सुपुर्दनामा, खात्मा की कार्यवाही करना। 2. अपने थाना क्षेत्र के छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण, रिमाण्ड, जमानत, सुपुर्दनामा का निराकरण करना। 3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं आपराधिक

			प्रकरणों का निराकरण करना। **किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।**
04	**श्रीमती भावना नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़**	चक्रधरनगर	1. थाना चक्रधरनगर (रायगढ़ तहसील क्षेत्र) से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण, परिवाद, रिमाण्ड, सुपुर्दनामा, खात्मा की कार्यवाही करना। 2. अपने थाना क्षेत्र के छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण, रिमाण्ड, जमानत, सुपुर्दनामा का निराकरण करना। 3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। **किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।**
05	**कु० प्रीति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़**		1. जिला मुख्यालय रायगढ़ स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाला समस्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित धारा 74, 78, 79 भारतीय न्याय संहिता–2023 (धारा 354, 509 भा.दं.सं.), Pre-Natal diagnostic Techiques (Prohibition of Sex Seletction) Act, 1994 संपूर्ण आपराधिक प्रकरणों, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित मामले, परिवाद, रिमाण्ड, सुपुर्दनामा, खात्मा, परिवाद की कार्यवाही एवं निराकरण करना। 2. थाना कोतवाली एवं जूटमिल रायगढ़ क्षेत्र से उत्पन्न धारा 85 भारतीय न्याय संहिता (धारा 498(ए) भारतीय दण्ड संहिता) के आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। 3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। **किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।**
06	**श्री निलेश जगदल्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़**	पुसौर	1. थाना पुसौर (रायगढ़ तहसील क्षेत्र) से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण, परिवाद, रिमाण्ड, जमानत, सुपुर्दनामा, खात्मा की कार्यवाही एवं निराकरण करना। 2. अपने थाना क्षेत्र के छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक

			प्रकरण, रिमाण्ड, जमानत, सुपुर्दनामा का निराकरण करना। 3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। **<u>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</u>**
07	**श्री नीरज श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़**		1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। **<u>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</u>**
08	**श्री सौरभ बारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़**		1. थाना कोतवाली, जूटमिल एवं आबकारी वृत्त शहर–दक्षिण–उत्तर रायगढ क्षेत्र के छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) एवं धारा 36(ए) के प्रकरण का निराकरण करना। 2. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। **<u>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</u>**
09	**श्रीमती काम्या अय्यर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)**	घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा, पूंजीपथरा, आबकारी वृत्त घरघोड़ा (रायगढ़ तहसील छोड़कर)	01. आरक्षी केन्द्र घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा, पूंजीपथरा, आबकारी वृत्त घरघोड़ा के संपूर्ण आपराधिक प्रकरण, वन विभाग घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा, पूंजीपथरा से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण, इस्तगासा, परिवाद पत्र, खात्मा प्रकरण का निराकरण करना। 02. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न Pre-Natal diagnostic Techiques (Prohibition of Sex Seletction) Act, 1994 के अंतर्गत संपूर्ण प्रकरण। 03. अपने थाना क्षेत्र के छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण, रिमाण्ड, जमानत, सुपुर्दनामा का निराकरण करना। 04. अपने थाना क्षेत्र से उद्भूत परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के समस्त अपराध का संज्ञान लेना, जांच तथा विचारण एवं निराकरण करना। 05. संबंधित आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत आने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम के सभी प्रकरण का निराकरण करना। 06. उक्त थाना क्षेत्र की सीमा से उत्पन्न आवेदन

			पत्र अंतर्गत धारा 144 से 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 125 से 128 दण्ड प्रक्रिया संहिता) के प्रकरणों का निराकरण करना। 07. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ को सूचित कर उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत चलित न्यायालय लगाना। 08. अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। 09. अपने थाना क्षेत्र के दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। 10. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न नाप तौल अधिनियम से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। 11. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न धारा 85 भारतीय न्याय संहिता (धारा 498(ए) भारतीय दण्ड संहिता) के आपराधिक मामले एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। 12. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। **<u>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</u>**
10	**कु० मृणालिनी कातुलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.)**	भूपदेवपुर, खरसिया, चौकी खरसिया एवं चौकी जोबी एवं आबकारी वृत्त खरसिया जिला रायगढ़	01. जिला रायगढ़ के अंतर्गत स्थापित आरक्षी केन्द्र भूपदेवपुर, खरसिया, चौकी खरसिया एवं चौकी जोबी के संपूर्ण मामले, वन विभाग खरसिया, भूपदेवपुर क्षेत्र से उद्भूत समस्त आपराधिक अभियोग पत्र, इस्तगासा, परिवाद पत्र, खात्मा प्रकरण। 02. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न Pre-Natal diagnostic Techiques (Prohibition of Sex Seletction) Act, 1994 के अंतर्गत संपूर्ण प्रकरण का निराकरण करना। 03. अपने थाना क्षेत्र के छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण, रिमाण्ड, जमानत, सुपुर्दनामा का निराकरण करना। 04. अपने थाना क्षेत्र से उदभूत परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के समस्त अपराध का संज्ञान लेना, जांच तथा विचारण एवं निराकरण करना। 05. संबंधित आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत आने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम के सभी प्रकरणों का निराकरण करना।

			06. उक्त थाना क्षेत्र की सीमा से उत्पन्न आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 144 से 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 125 से 128 दण्ड प्रक्रिया संहिता) के प्रकरणों का निराकरण करना। 07. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ को सूचित कर उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत चलित न्यायालय लगाना। 08. अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। 09. अपने थाना क्षेत्र के दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। 10. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न नाप तौल अधिनियम से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। 11. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न धारा 85 भारतीय न्याय संहिता (धारा 498(ए) भारतीय दण्ड संहिता) के आपराधिक मामले एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत आपराधिक मामले का निराकरण करना। 12. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। **<u>किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।</u>**
11	**कु० प्रिया रजक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.)**	धरमजयगढ़, छाल एवं कापू एवं आबकारी वृत्त धरमजयगढ़ जिला रायगढ (रायगढ तहसील छोडकर)	01. जिला रायगढ़ के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र धरमजयगढ़, छाल एवं कापू के संपूर्ण मामले, वन विभाग धरमजयगढ़, छाल एवं कापू से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण, इस्तगासा, परिवाद पत्र, खात्मा प्रकरण की कार्यवाही करना । 02. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न Pre-Natal diagnostic Techiques (Prohibition of Sex Seletction) Act, 1994 के अंतर्गत संपूर्ण प्रकरण। 03. अपने थाना क्षेत्र के छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण, रिमाण्ड, जमानत, सुपुर्दनामा का निराकरण करना। 04. अपने थाना क्षेत्र से उदभूत परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के समस्त अपराध का संज्ञान लेना, जांच तथा विचारण एवं निराकरण करना। 05. संबंधित आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत आने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम के सभी प्रकरणों का

			निराकरण करना। 06. उक्त थाना क्षेत्र की सीमा से उत्पन्न आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 144 से 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 125 से 128 दण्ड प्रक्रिया संहिता) के प्रकरणों का निराकरण करना। 07. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ को सूचित कर उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत चलित न्यायालय लगाना। 08. अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। 09. अपने थाना क्षेत्र के दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। 10. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न नाप तौल अधिनियम से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। 11. अपने थाना क्षेत्र से उत्पन्न धारा 85 भारतीय न्याय संहिता (धारा 498(ए) भारतीय दण्ड संहिता) के आपराधिक मामले एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत आपराधिक मामले का निराकरण करना। 12. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रायगढ़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। **किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जिसका सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को है।**

//परिशिष्ट ए//

अनुपस्थिति की दशा में:-

रायगढ़ जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर या अनुपस्थिति पर उनके न्यायालय से संबंधित आवश्यक प्रकृति के कार्य निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा:-

क्रमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम व पद	अनुपस्थिति में आवश्यक कार्य सम्पादन करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम व पद
01.	नेहा यति मिश्रा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ (छ.ग.)	1. श्री प्रवीण मिश्रा, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 2. श्रीमती भावना नायक, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 3. कु. प्रीति, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 4. श्री निलेश जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 5. श्री देवाशीष ठाकुर, जे.एस.एफ.सी., रायगढ़ 6. श्री सौरभ बारा, जे.एस.एफ.सी., रायगढ़ 7. श्री नीरज श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़

02.	श्री प्रवीण मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ (छ.ग.)	1. कु. प्रीति, जे.एम.एफ.सी रायगढ 2. श्री निलेश जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 3. श्री सौरभ बारा, जे.एम.एफ.सी., रायगढ 4. श्रीमती भावना नायक, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 5. श्री देवाशीष ठाकुर, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 6. श्री नीरज श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़
03.	श्री देवाशीष ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ (छ.ग.)	1. श्रीमती भावना नायक ठाकुर, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 2. श्री सौरभ बारा, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 3. कु0 प्रीति, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 4. श्री निलेश जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 5. श्री प्रवीण मिश्रा, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 6. श्री नीरज श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़
04.	श्रीमती भावना नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ (छ.ग.)	1. श्री सौरभ बारा, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 2. श्री निलेश जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी. रायगढ 3. कु. प्रीति, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 4. श्री देवाशीष ठाकुर, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 5. श्री प्रवीण मिश्रा, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 6. श्री नीरज श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी., रायगढ
05.	कु. प्रीति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ (छ.ग.)	1. श्री निलेश जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 2. श्री सौरभ बारा, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 3. श्री प्रवीण मिश्रा, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 4. श्री देवाशीष ठाकुर, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 5. श्रीमती भावना नायक, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 6. श्री नीरज श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़
06.	श्री निलेश जगदल्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ (छ.ग.)	1. कु. प्रीति, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 2. श्री देवाशीष ठाकुर, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 3. श्री सौरभ बारा, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 4. श्री प्रवीण मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 5. श्रीमती भावना नायक, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 6. श्री नीरज श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी., रायगढ
07.	श्री नीरज श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ (छ.ग.)	1. श्री निलेश जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 2. कु. प्रीति, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 3. श्रीमती भावना नायक, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 4. श्री सौरभ बारा, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 5. श्री प्रवीण मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 6. श्री नीरज श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी रायगढ़
08.	श्री सौरभ बारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, रायगढ़ (छ.ग.)	1. श्री देवाशीष ठाकुर, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 2. श्री निलेश जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 3. कु. प्रीति, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 4. श्रीमती भावना नायक, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 5. श्री प्रवीण मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 6. श्री नीरज श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी रायगढ़
09.	श्रीमती काम्या अय्यर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.)	1. श्री निलेश जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 2. कु. प्रीति, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 3. श्री देवाशीष ठाकुर, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 4. श्री सौरभ बारा, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 5. श्री प्रवीण मिश्रा, जे.एम.एफ.सी रायगढ़

		6. श्री नीरज श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी रायगढ़
10.	कु. मृणालिनी कातुलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.)	1.श्री सौरभ बारा, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 2. श्री देवाशीष ठाकुर, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 3. श्री प्रवीण मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 4. श्रीमती भावना नायक, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 5. कु. प्रीति, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 6. श्री निलेश जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 7. श्री नीरज श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़
11.	कु० प्रिया रजक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.)	1. श्रीमती काम्या अय्यर, जे.एम.एफ.सी. घरघोड़ा, जिला रायगढ़ 2. कु. मृणालिनी कातुलकर, जे.एम.एफ.सी. खरसिया, रायगढ़ 3. श्री देवाशीष ठाकुर, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 4. श्री निलेश जगदल्ला जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 5. कु. प्रीति, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 6. श्री सौरभ बारा, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 7. श्री नीरज श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़

//आवश्यक निर्देश//

01. किसी भी अधिनियम से संबंधित अपराध के संबंध में यदि कोई शंका की स्थिति निर्मित होती है, तब ऐसी स्थिति में ऐसे प्रकरणों का निराकरण मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।

02. पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट (जो वर्तमान में रायगढ़ जिला में पदस्थ नहीं है) द्वारा नियमित आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों में जारी स्थायी वारंट के पालन में आरोपी को अभिरक्षा में प्रस्तुत करने पर या आरोपी द्वारा समर्पण करने पर उनके स्थान पर पदस्थ वर्तमान न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट के संबंध में कार्यवाही की जावेगी एवं उस प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। शंका की स्थिति में या पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर किसी के पदस्थ न रहने की स्थिति में संबंधित आरक्षी केंद्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा और उन्हीं के द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

03. पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट (जो वर्तमान में रायगढ़ जिला में पदस्थ नहीं है) के न्यायालय से संबंधित कोई भी आपराधिक अपीलीय प्रकरण एवं माननीय अपीलीय न्यायालय से अभिलेख रिमाण्ड होने के पश्चात् अथवा अपील विविध कार्यवाही से संबंधित कार्यवाही का संपादन उनके स्थान पर पदस्थ वर्तमान न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जावेगा। शंका की स्थिति में या पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर किसी के पदस्थ न रहने की स्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश होगा।

04. साईबर सेल से संबंधित सुपुर्दनामा प्रकरणों का निराकरण संबंधित थाना क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जावेगा एवं समय-समय पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा सौंपे जाने पर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

05. न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश/अनुपस्थिति के दौरान संबंधित मजिस्ट्रेट के थाना क्षेत्र से उद्भूत समरी प्रकरणों को भी उपरोक्त आवश्यक कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् निराकृत किया जायेगा।

06. यदि उपरोक्त आवश्यक कार्य करने वाले कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो तो मुख्यालय में उपस्थित एवं उपलब्ध वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक प्रकृति के कार्य किया जायेगा।

(2) रिमाण्ड ड्यूटी

01. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घरघोड़ा, खरसिया एवं धरमजयगढ़ अवकाश दिवस में अपने स्टाफ के साथ अपने न्यायालय में आवश्यक न्यायिक रिमाण्ड संबंधी कार्यों का निम्नानुसार निष्पादन करेंगे–

(1) न्यायालय **घरघोड़ा** में **श्रीमती काम्या अय्यर**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, घरघोड़ा प्रत्येक माह अपने स्टाफ के साथ आवश्यक रिमाण्ड ड्यूटी संपादन करेंगे।

(2) न्यायालय **खरसिया** में **कु. मृणालिनी कातुलकर**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खरसिया प्रत्येक माह अपने स्टाफ के साथ आवश्यक रिमाण्ड ड्यूटी संपादन करेंगे।

(3) न्यायालय **धरमजयगढ़** में **कु. प्रिया रजक**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमजयगढ़ प्रत्येक माह अपने स्टाफ के साथ आवश्यक रिमाण्ड ड्यूटी संपादन करेंगें।

उक्त अवधि में इनमें से न हो तो वे आपसी सामंजस्य के आधार पर रिमाण्ड कार्य संपादन करेंगें, जिसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़ को देंगे।

02. अपरिहार्य कारणों से या मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी आपसी सहमति से बदला जा सकेगा, लेकिन उसके लिये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ को पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। जिला मुख्यालय रायगढ़ में कार्य दिवस में प्रत्येक दशा में कम से कम एक न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे।

03– अपरिहार्य परिस्थिति निर्मित होने पर रिमाण्ड ड्यूटी या अन्य कार्यवाही हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा निर्देशित न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक न्यायिक कार्यों का निष्पादन करेंगे।

04. रायगढ़ जिला के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, अवकाश पर जाने के पूर्व या मुख्यालय छोड़ने के पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ की लिखित अनुशंसा (विशेष परिस्थिति में मौखिक अनुशंसा) पर ही किसी भी प्रकार के अवकाश पर या मुख्यालय से बाहर रहने के लिये अग्रसर होंगे तथा अवकाश से लौटने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ को सूचित करेंगे तथा सभी अवकाश आवेदन की प्रतिलिपि उनकी अनुपस्थिति में कार्य करने वाले मजिस्ट्रेट को देना आवश्यक होगा।

(3) धारा 183, 184 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (धारा 164, 164(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के तहत कथन दर्ज करने की अधिकारिता

01. रायगढ़ जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के द्वारा **धारा 183, 184 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (धारा 164, 164(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता)** के अंतर्गत समस्त कार्यवाही करना/संस्वीकृति एवं कथनों का लेखबद्ध किया जाना एवं उनकी अनुपस्थिति में उक्त कथन निम्नानुसार दर्ज किया जावेगा:–

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम व पद	आवश्यक कार्य सम्पादन करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेटों का नाम व पद
1	2	3
01.	1. जिला न्यायालय, रायगढ़ से संबंधित समस्त थाना क्षेत्र से उद्भुत धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता 2023 (धारा 354 से 354 (डी) एवं 509 भारतीय दण्ड संहिता) से संबंधित धारा 183, 184 भारतीय	श्रीमती भावना नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़ **नोट: उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट ए के अनुसार कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त बयान लेखबद्ध किये जाएंगे।**

	नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (धारा 164, 164(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के कथन कॉलम नंबर–3 में दर्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध किया जावेगा।	
	2. आरक्षी केंद्र कोतवाली, जूटमिल, पूंजीपथरा से उद्भूत यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012 से संबंधित धारा 183, 184 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (धारा 164, 164(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के कथन कॉलम नंबर–3 में दर्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध किया जावेगा।	
02.	1. जिला न्यायालय रायगढ़ से संबंधित समस्त थाना क्षेत्र से उद्भूत महिलाओं से संबंधित अपराध (धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता 2023 से संबंधित मामलों को छोड़कर) के तहत धारा 183, 184 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (धारा 164, 164 (क) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के कथन कॉलम नंबर 3 में दर्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध किया जावेगा।	कु. प्रीति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़। **<u>नोट: उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट ए के अनुसार कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त बयान लेखबद्ध किये जाएंगे।</u>**
	2. आरक्षी केंद्र चक्रधरनगर, कोतरारोड, पुसौर से उद्भूत यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012 से संबंधित धारा 183, 184 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (धारा 164, 164(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के कथन कॉलम नंबर–3 में दर्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध किया जावेगा।	
03.	श्रीमती काम्या अय्यर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) के थाना क्षेत्र घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा, पूंजीपथरा से उद्भूत धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता 2023 (धारा 354 से 354(डी), 509 भारतीय दण्ड संहिता) से संबंधित धारा 183, 184 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (धारा 164, 164(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के कथन एवं महिलाओं से संबंधित	1. कु. मृणालिनी कातुलकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खरसिया, जिला रायगढ़ 2. श्रीमती भावना नायक ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़। 3. कु. प्रीति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ **<u>नोट: उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट ए के अनुसार कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त बयान लेखबद्ध किये जाएंगे।</u>**

	अपराध के तहत कथन कॉलम नंबर–3 में दर्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध किया जावेगा।	
04.	कु. मृणालिनी कातुलकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.) के थाना– खरसिया एवं भूपदेवपुर क्षेत्र से उद्भूत धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता 2023 (धारा 354 से 354(डी), 509 भारतीय दण्ड संहिता) से संबंधित धारा 183, 184 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (धारा 164, 164(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के कथन एवं महिलाओं से संबंधित अपराध के तहत कथन कॉलम नंबर–3 में दर्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध किया जावेगा।	1. श्रीमती काम्या अय्यर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घरघोड़ा। 2. कु. प्रीति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़। 3. श्रीमती भावना नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़ **नोट: उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट ए के अनुसार कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त बयान लेखबद्ध किये जाएंगे।**
05.	कु. प्रिया रजक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ के थाना– क्षेत्र धरमजयगढ़, छाल एवं कापू से उद्भूत धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता 2023 (धारा 354 से 354(डी), 509 भारतीय दण्ड संहिता) से संबंधित धारा 183, 184 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (धारा 164, 164(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के कथन एवं महिलाओं से संबंधित अपराध के तहत कथन कॉलम नंबर–3 में दर्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध किया जावेगा।	1. श्रीमती काम्या अय्यर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, घरघोड़ा 2. कु. मृणालिनी कातुलकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खरसिया, जिला रायगढ़ 3. श्रीमती भावना नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़ 4. कु. प्रीति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़ **नोट: उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट ए के अनुसार कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त बयान लेखबद्ध किये जाएंगे।**

02. सत्र प्रकरण के प्रकरण से संबंधित धारा 183, 184 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (धारा 164, 164(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के कथन संबंधित थाना क्षेत्र रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दर्ज किए जावेंगे।

03. थाना कोतवाली क्षेत्र से संबंधित सत्र प्रकरण के धारा 183, 184 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (धारा 164, 164 (क) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के कथन श्री निलेश जगदल्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा दर्ज किए जाएंगे एवं अवकाश पर रहने की दशा में परिशिष्ट ए के अनुसार उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दर्ज किए जाएंगे।

04. थाना जूटमिल क्षेत्र से संबंधित सत्र प्रकरण के धारा 183, 184 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (धारा 164, 164 (क) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के कथन श्री सौरभ बारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा दर्ज किए जाएंगे एवं अवकाश पर रहने की दशा में परिशिष्ट ए के अनुसार उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दर्ज किए जाएंगे।

05. न्यायिक मजिस्ट्रेट खरसिया, घरघोड़ा, धरमजयगढ़ के द्वारा अपने थाना क्षेत्र से उद्भूत यौन

अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012 से संबंधित धारा 183, 184 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (धारा 164, 164(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के कथन आरक्षी केंद्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा स्वयं लेखबद्ध किए जाएंगे।

(4) एनडीपीएस एक्ट में तौल एवं सीलबंद की कार्यवाही –

1. एनडीपीएस एक्ट में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ नियंत्रित पदार्थ के नमूने की शुद्धता के प्रमाणीकरण सैम्पल, फोटोग्राफ्स, तौल एवं सीलबंद की कार्यवाही न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वयं के द्वारा विचारण योग्य मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों में (विशेष न्यायालय) अपने–अपने आबंटित थाना के संबंध में निष्पादित करेंगे एवं मजिस्ट्रेट के द्वारा स्वयं विचारण योग्य प्रकरण की इन्वेंट्री संबंधी कार्यवाही परिशिष्ट ए के अनुसार उनके अनुपस्थिति की दशा में कार्य करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी।

2. थाना कोतवाली क्षेत्र से संबंधित इन्वेंट्री कार्यवाही श्री निलेश जगदल्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ के द्वारा किया जावेगा।

3. थाना जूटमिल क्षेत्र से संबंधित इन्वेंट्री कार्यवाही श्री सौरभ बारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ के द्वारा किया जावेगा।

4. उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर उनकी अनुपस्थिति में कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त कार्यवाही की जाएगी।

(5) न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति व न्यायालय रिक्त होने की दशा में–

01. नीचे उल्लेखित लिंक न्यायिक अधिकारियों द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 14754/डी.एण्ड.ए./2023 बिलासपुर दिनांक 08.11.2023 एवं ज्ञापन क्रमांक 15250/डी.एण्ड.ए./2023 बिलासपुर दिनांक 23.11.2023 के अनुपालन में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन किया जावेगाः–

"The concerned link Judicial Officer will take up not only urgent cases of that court, but also take up the cases in which witnesses have come to record their evidence, if possible, and if not possible they will be bound over and given next date of not later than 03 days from the date of joining of the Presiding Officer considering the judicial dairy of that court and bound the witnesses except the official witnesses."

"Apart from urgent cases and cases in which witnesses have come, all Civil and Criminal cases of the Court will be taken by the link Judicial Officer and will be fixed for hearing/for the purpose for which it is already listed without fail, if for any reason it is not possible for the link Judicial Officer to hear the case, it will be adjourned not later than three days from the date of joining of the Judicial officer considering the judicial diary of that Court and in no case it will be adjourned by the reader."

क्रमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम व पद	अनुपस्थिति की दशा में कार्य संपादन हेतु अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम व पद
01.	नेहा यति मिश्रा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	1. श्री प्रवीण मिश्रा, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 2. श्रीमती भावना नायक, जे.एम.एफ.सी रायगढ़

	रायगढ़ (छ.ग.)	3. कु. प्रीति, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 4. श्री निलेश जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 5. श्री देवाशीष ठाकुर, जे.एस.एफ.सी., रायगढ़ 6. श्री सौरभ बारा, जे.एस.एफ.सी., रायगढ़ 7. श्री नीरज श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़
02.	श्री प्रवीण मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़ (छ.ग.)	1. कु. प्रीति, जे.एम.एफ.सी रायगढ 2. श्री निलेश जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 3. श्री सौरभ बारा, जे.एम.एफ.सी., रायगढ 4. श्रीमती भावना नायक, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 5. श्री देवाशीष ठाकुर, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 6. श्री नीरज श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़
03.	श्री देवाशीष ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ (छ.ग.)	1. श्रीमती भावना नायक ठाकुर, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 2. श्री सौरभ बारा, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 3. कु0 प्रीति, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 4. श्री निलेश जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 5. श्री प्रवीण मिश्रा, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 6. श्री नीरज श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़
04.	श्रीमती भावना नायक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़ (छ.ग.)	1. श्री सौरभ बारा, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 2. श्री निलेश जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी. रायगढ 3. कु0 प्रीति, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 4. श्री देवाशीष ठाकुर, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 5. श्री प्रवीण मिश्रा, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 6. श्री नीरज श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी., रायगढ
05.	कु. प्रीति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़ (छ.ग.)	1. श्री नीलेष जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 2. श्री सौरभ बारा, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 3. श्री प्रवीण मिश्रा, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 4. श्री देवाशीष ठाकुर, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 5. श्रीमती भावना नायक, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 6. श्री नीरज श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़
06.	श्री निलेश जगदल्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़ (छ.ग.)	1. कु0 प्रीति, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 2. श्री देवाशीष ठाकुर, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 3. श्री सौरभ बारा, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 4. श्री प्रवीण मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 5. श्रीमती भावना नायक, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 6. श्री नीरज श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी., रायगढ
07.	श्री नीरज श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़ (छ.ग.)	1. श्री निलेश जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 2. कु. प्रीति, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 3. श्रीमती भावना नायक, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 4. श्री सौरभ बारा, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 5. श्री प्रवीण मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 6. श्री नीरज श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी रायगढ़
08.	श्री सौरभ बारा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी रायगढ़ (छ.ग.)	1. श्री देवाशीष ठाकुर, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 2. श्री निलेश जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 3. कु. प्रीति, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 4. श्रीमती भावना नायक, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 5. श्री प्रवीण मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 6. श्री नीरज श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी रायगढ़

09.	श्रीमती काम्या अय्यर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.)	1. श्री निलेश जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 2. कु. प्रीति, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 3. श्री देवाशीष ठाकुर, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 4. श्री सौरभ बारा, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 5. श्री प्रवीण मिश्रा, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 6. श्री नीरज श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ +
10.	कु. मृणालिनी कातुलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.)	1.श्री सौरभ बारा, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 2. श्रीदेवाशीष ठाकुर, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 3. श्री प्रवीण मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 4. श्रीमती भावना नायक, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 5. कु. प्रीति, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 6. श्री निलेश जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 7. श्री नीरज श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़
11.	कु० प्रिया रजक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.)	1. श्रीमती काम्या अय्यर, जे.एम.एफ.सी. घरघोड़ा, जिला रायगढ़ 2. कु. मृणालिनी कातुलकर, जे.एम.एफ.सी. खरसिया, रायगढ़ 3. श्री देवाशीष ठाकुर, जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 4. श्री निलेश जगदल्ला जे.एम.एफ.सी., रायगढ़ 5. कु. प्रीति, जे.एम.एफ.सी रायगढ़ 6. श्री सौरभ बारा, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ 7. श्री नीरज श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़

नोट–यदि उपरोक्त आवश्यक कार्य करने वाले कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर हो तब मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक प्रकृति के कार्य किए जाएंगे।

अनुमोदित

01/01/2025

Principal District & Sessions Judge
Raigarh (C.G.)

1.1.25

(नेहा यति मिश्रा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायगढ़ (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक क्यू./सी.जे.एम./2025 **रायगढ़, दिनांक 01/01/2025**

प्रतिलिपि प्रेषितः–

01. श्रीमान् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी.(POCSO) रायगढ़/सारंगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
02. श्रीमान् द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/छठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रायगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
03. श्रीमान् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) रायगढ़/सारगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
04. श्रीमान् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़/घरघोड़ा की ओर सादर सूचनार्थ।
05. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़/घरघोड़ा/खरसिया/धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
06. जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़ को सूचनार्थ।
07. पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं रायगढ़ जिले के समस्त थाना प्रभारी को प्रतिलिपि उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
08. उप संचालक जिला अभियोजन, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
09. वन मण्डलाधिकारी, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
10. जिला आबकारी अधिकारी, रायगढ़ को सूचनार्थ।
11. प्रभारी, जिला परिवहन/परिवहन उड़नदस्ता रायगढ़ को सूचनार्थ।
12. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ एवं तहसील अधिवक्ता संघ घरघोड़ा/खरसिया/धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
13. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़।
14. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़।
15. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु।
16. कार्यालय लिपिक नजारत/अभिलेखागार/ग्रंथालय/प्रतिलिपि/पंजीयन शाखा को सूचनार्थ।
17. प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

रायगढ़
दिनांक– 01.01.2025

1.1.25
(नेहा यति मिश्रा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायगढ़ (छ.ग.)